न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 106/2022

उनवान

सम्पत सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति रावत नि. भवानीखेडा तहसील नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री अविनाश प्रसाद शर्मा

बनाम

1. छीतर सिंह पुत्र राजू सिंह,
2. राम सिंह,
3. बीरम सिंह,
4. कालू सिंह पुत्र छोटू सिंह,
5. जमनी पत्नि छोटू सिंह,
6. भँवरी पत्नि राम सिंह,
7. रूकमा पत्नि छीतर सिंह,
8. भोली पत्नि सुखदेव,
9. दीपक पुत्र राम सिंह समस्त जाति रावत नि. भवानीखेडा तहसील नसीराबाद अजमेर,
10. तहसीलदार, तहसील नसीराबाद अजमेर

—— अप्रार्थी :– 10. जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 10/7/24

प्रार्थीगण ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.24, 1105 रकबा 0.02, 3595/1116 रकबा 0.2150 की आराजी प्रार्थी की माता ने प्रार्थी को दिनांक 06.06.22 को दान दी है। आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण भी प्रार्थी के नाम दर्ज हो गया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी की माता विधवा व वृद्ध है जिस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर अपना हक जमाते हुये दखलदांजी कर रहे है। प्रार्थी द्वारा अराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान भी करवाया गया किन्तु अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर काटें डालकर अतिक्रमण करने पर आमादा है। सीमाज्ञान की कार्यवाही को उनके द्वरा नही माना जा रहा है। अप्रार्थीगण निरन्तर आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी व प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरो[illegible] वाद मे जवाब पेश कर इस प्रकरण में जवाब नही पेश करना ज[illegible] किया। [illegible]

पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित कि[illegible] जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:00:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा प्रार्थी की माता के नाम खातेदार अंकित थी। खातेदार नाथी पत्नी घीसा सिंह द्वारा उक्त आराजी जरियें दान पत्र प्रार्थी को हस्तांतरण कर दी, जिसका नामान्तकरण प्रार्थी के नाम अंकित हो चुका है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.5.20 को मौका पर्चा अनुसार प्रार्थी की आराजी के कुछ हिस्से पर छोटू सिंह द्वारा कांटे डाल कर अतिकमण किया हुआ है। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार नसीराबद का कोई हित प्रभावित नही हाता है। प्रार्थी आराजी मुतनाज का रिकार्डेड खातेदार है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी के माता की खातेदारी में थी। प्रार्थी की माता विधवा व वृद्ध होने से उनके द्वारा आराजी मुतनाजा प्रार्थी के नाम जरियें दान पत्र की गयी। दिनांक 20.5.20 के मौका पर्चा अनुसार प्रार्थी की आराजी पर दखलदांजी की जा रही है, यदि व्यादेश जारी नही किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। भूमि पर कब्जे के तथ्य का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम दिलवाडा की आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.24, 1105 रकबा 0.02, 3595/1116 रकबा 0.2150 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार' किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:00:18 IST
Reason: SelfAttested